

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या : 412/2018

24.1.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री भानु प्रकाश ।

सुना गया ।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे ।

अधीनस्थ अधिकरण को निर्देशित किया जावे कि यदि उनके समक्ष क्षतिपूर्ति राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित कोई प्रार्थना पत्र लम्बित हो तो उक्त प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण किया जाकर अभिलेख अविलम्ब इस न्यायालय को भेजा जावे ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश किए जाने पर प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी को चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावे ।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति